संख्या-52/2015/वे0आ0-2-785/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सहकारिता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 सितम्बर, 2015

विषय- सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी तथा सुपरवाईजर संवर्ग के सहकारी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी तथा सुपरवाईजर संवर्ग के सहकारी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 09 जुलाई, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 52/2015/वे0आ0-2-785(1)/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वि.म.-2-785/X 15

सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी तथा सुपरवाइजर संवर्ग के सहकारी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2015 का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :––

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग – सदस्य

(2) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग – सदस्य

(3) श्री शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग – सदस्य

(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग – सदस्य सचिव

2– प्रशासकीय विभाग द्वारा सहकारिता विभाग के विभिन्न पदों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :––

(1) अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/वसूली अधिकारी, जो वर्तमान में वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– में कार्यरत हैं, का ग्रेड वेतन रु0 4600/– के स्थान पर रु0 4800/– किया जाये।

(2) सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर संवर्ग के सहकारी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि, जो वर्तमान में वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– में हैं, का ग्रेड वेतन रु0 2400/– किया जाये।

3– **अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/वसूली अधिकारी**

समिति को अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/वसूली अधिकारी की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में विभागीय प्रस्ताव में दिये गये तथ्यों से निम्नवत् अवगत कराया गया :––

(1) वर्ष 2006 में सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी का वेतनमान रु0 6500–10500 का और इसी के समतुल्य जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी का वेतनमान था। कालान्तर में उक्त अधिकारियों का वेतनमान शासन द्वारा उच्चीकृत कर वेतन बैण्ड–3 में ग्रेड वेतन रु0 5400/– कर दिया गया। परन्तु अपर जिला सहकारी अधिकारी द्वारा किये जा रहे गुरूत्तर दायित्वों के निर्वहन एवं समूह "**ख**" के राजपत्रित अधिकारी होने के संगत वेतनमान उच्चीकृत नहीं किया गया।

(2) जहॉ तक तहसील स्तरीय अधिकारियों को अनुमन्य वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में विचारणीय है कि जिला सहकारी अधिकारी के समकक्ष और तहसील स्तर पर मूलतः कार्यरत समकक्षीय अधिकारी यथा– तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं उप निबन्धक (निबन्धन) को वेतन बैण्ड–3 में ग्रेड वेतन रु0 5400/– राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करा दिया गया है। इसके विपरीत आज भी सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी ग्रेड पे रु0 4600/–में ही कार्यरत है।

(3) उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी का ग्रेड वेतन रु0 5400/– है तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में ग्रेड पे रु0 4800/– अनुमन्य कर दिया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि अपर जिला सहकारी अधिकारी को तहसील स्तर का अधिकारी मानते हुए उसके ग्रेड वेतन को वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित/उच्चीकृत न किया जाना अथवा संस्तुति को स्वीकार न किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

(4) अपर जिला सहकारी अधिकारी एवं सुपरवाइजर संवर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति, उ0प्र0 की संस्तुतियों का क्रियान्वयन न होने से इस संवर्ग के अधिकारियों को अपूर्णीय क्षति हो रही है, जिससे इनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। अतः अपर जिला सहकारी अधिकारी को ग्रेड पे रु0 4600/– के स्थान पर रु0 4800/– तथा सुपरवाइजर संवर्ग को ग्रेड पे रु0 2000/– के स्थान पर रु0 2400/– अनुमन्य कराया जाये।

4– *समिति की संवीक्षा –*

प्रशासकीय विभाग द्वारा बतायी गयी स्थिति तथा वित्त विभाग द्वारा बतायी गयी तथ्यात्मक स्थिति के क्रम में समिति की संवीक्षा निम्नवत् है :–

(1) वेतन समिति (2008) द्वारा सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी/वसूली अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– दिये जाने की संस्तुति की गयी थी किन्तु शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त वेतन समिति की संस्तुतियॉ स्वीकार नहीं की गयीं। फलस्वरूप सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी/वसूली अधिकारी के पद वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– में बने हुये हैं।

(2) वर्ष 2006 में सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी का पद वेतनमान रु0 5000–8000 में था। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2006 में सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 6500–10500 अनुमन्य कराने का निर्णय पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2006 के द्वारा लिया गया था और इसके उपरान्त

सहकारी अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 6500–10500 किया गया था। इसके उपरान्त सापेक्षता के आधार पर की गयी मॉग के क्रम में निर्णय दिनांक 21 जून, 2007 के द्वारा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर भी वेतनमान रु0 6500–10500 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराने का निर्णय लिया गया और उक्त निर्णय के क्रम में विभागीय शासनादेश के द्वारा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर भी वेतनमान रु0 5000–8000 के स्थान पर वेतनमान रु0 6500–10500 अनुमन्य किया गया।

(3) जहॉ तक जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी का वेतनमान रु0 6500–10500 होने का प्रश्न है, ये पद पूर्व में सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी से उच्च वेतनमान में थे। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था थी और उक्त पद जिला स्तरीय अधिकारी के पद थे। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रु0 4800/– तथा जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के जिला स्तरीय अधिकारी होने एवं गुरूत्तर कार्य एवं उत्तरदायित्व के कारण वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– अनुमन्य किया गया है। अपर जिला सहकारी अधिकारी का पद शत–प्रतिशत पदोन्नति का पद है। यह पद न तो जिला स्तरीय अधिकारी का पद है और न ही उसे कार्यालयाध्यक्ष का स्तर ही प्राप्त है।

(4) जहॉ तक तहसील स्तरीय अधिकारियों यथा– तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं उप निबन्धक से तुलना किये जाने का प्रश्न है, इन पदों से अपर जिला सहकारी अधिकारी का पद तुलनीय नहीं है। उक्त पदों में से समस्त पद वर्तमान में वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– में हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा उप निबन्धक के पद प्रान्तीय सेवा के पद हैं और इन पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था है। इनके कार्य एवं उत्तरदायित्व की भी तुलना अपर जिला सहकारी अधिकारी से नहीं की जा सकती है। अपर जिला सहकारी अधिकारी का पद सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकीय/सहकारी निरीक्षक ग्रेड–2 से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(5) खण्ड विकास अधिकारी का पद वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– में है तथा यह प्रान्तीय विकास सेवा का प्रारम्भिक पद है और इस पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। खण्ड विकास अधिकारी के 08 प्रतिशत पदों पर अपर जिला सहकारी अधिकारी से पदोन्नति होती है। इस प्रकार अपर जिला सहकारी अधिकारी का पद खण्ड विकास अधिकारी के पोषक पद में है और इस पद के कार्य एवं उत्तरदायित्व से अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद का कार्य एवं उत्तरदायित्व तुलनीय नहीं है।

(6) खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग का विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी है और इसके पर्यवेक्षण में बड़ी संख्या में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होते हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ–साथ प्रशिक्षित स्नातक (बी0एड0) की अर्हता भी होती है। अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता, भर्ती की विधि तथा कार्य एवं उत्तरदायित्व की तुलना खण्ड शिक्षा अधिकारी से नहीं की जा सकती है।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अपर जिला सहकारी अधिकारी की पदोन्नति विभाग में सहायक निबन्धक (सहकारिता) के पद पर होने के साथ–साथ विकास खण्डों में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के पद पर होती है। खण्ड विकास अधिकारी के 32 प्रतिशत पदों पर संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, 10 प्रतिशत पदों पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अपर सांख्यिकीय अधिकारी तथा 08 प्रतिशत पद पर अपर जिला सहकारी अधिकारी से पदोन्नति होती है। वर्तमान में अपर जिला सहकारी अधिकारी, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– में हैं। इनमें से किसी पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने की स्थिति में अन्य पदों के पदधारकों द्वारा भी समानता के आधार पर उच्च ग्रेड वेतन की मॉग की जा सकती हैं।

(8) उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत समिति सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/वसूली अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य किये जाने का औचित्य नहीं पाती है।

5– <u>समिति की संस्तुतियॉ –</u>

बैठक में हुए विचार–विमर्श के क्रम में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियॉ निम्नवत् हैं :––

"सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/वसूली अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– दिये जाने का औचित्य नहीं है। इन पदों को वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– में यथावत् बनाये रखा जाये।"

6– <u>सहायक कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि *की वेतन विसंगति –*</u>

समिति को अपर सहायक कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में विभागीय प्रस्ताव में दिये गये तथ्यों से निम्नवत् अवगत कराया गया :––

(1) वेतन समिति (2008) द्वारा सहकारिता विभाग के सहकारी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि के पदों को संविलीन कर सहायक सहकारी निरीक्षक वर्ग–3 का पदनाम तथा एक समान

शैक्षिक अर्हता स्नातक (अर्थशास्त्र, वाणिज्य/कृषि अथवा गणित/सांख्यिकीय) रखते हुए वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रु0 3200–4900 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– के स्थान पर वेतनमान रु0 4000–6000 सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–2000 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/– अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

(2) वेतन समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों को शासन स्तर पर विचारोपरान्त स्वीकार नहीं किया गया। फलस्वरूप उक्त समस्त पद वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– में यथावत् बने हुये हैं। प्रशासकीय विभाग द्वारा इन पदों पर वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान रु0 4000–6000 सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–2000 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/– अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

7– ***समिति की संवीक्षा –***

प्रशासकीय विभाग द्वारा बतायी गयी स्थिति तथा वित्त विभाग द्वारा बतायी गयी तथ्यात्मक स्थिति के क्रम में समिति की संवीक्षा निम्नवत् है :––

(1) सहकारिता विभाग में सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि के पद की शैक्षिक अर्हता अर्थशास्त्र, वाणिज्य/कृषि तथा गणित/सांख्यिकीय में स्नातक है तथा सहकारी कृषि पर्यवेक्षक के पद की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है, किन्तु इन तीनों श्रेणी के पदों पर एक समान वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– अनुमन्य है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपलब्ध ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के पद की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ कम्प्यूटर में 'सी0सी0सी0' प्रमाण–पत्र करते हुए वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– अनुमन्य किया गया है। ऐसी स्थिति में इण्टरमीडिएट की अर्हता के पद हेतु वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– से उच्च ग्रेड वेतन दिये जाने का औचित्य नहीं है।

(2) समिति का यह मत है कि उच्च शैक्षिक अर्हता के पदों सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि के पद पर उच्च ग्रेड वेतन दिये जाने पर विचार किया जा सकता है किन्तु इसके पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा यह परीक्षण कर लिया जाये कि उक्त दोनों पदों पर उच्च ग्रेड वेतन दिये जाने की दशा में आपसी सापेक्षता के आधार पर वेतन विसंगति तो उत्पन्न नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाना होगा कि सहायक सहकारी निरीक्षक के 27 पद तथा ग्राम सेवक के 44 ग्राम स्तरीय पद की वर्तमान में क्या उपयोगिता है और इन पदों को बनाये रखने की कार्यात्मक आवश्यकता है अथवा नहीं। प्रशासकीय विभाग यह भी देख लें कि वर्तमान में उक्त श्रेणी के पदों में से कितने पद भरे हुए हैं। यदि इन पदों की कार्यात्मक आवश्यकता वर्तमान में बनी हुयी है और इन्हें बनाये रखने की आवश्यकता है तो उपर्युक्त परीक्षण के उपरान्त

यथावश्यकता वेतन विसंगति के निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकते हैं।

8– <u>समिति की संस्तुतियॉ –</u>

बैठक में हुए विचार–विमर्श के क्रम में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियॉ निम्नवत् हैं :––

(1) सहकारिता विभाग में सहायक सहकारी निरीक्षक तथा ग्राम सेवक कृषि के पदों को बनाये रखने की कार्यात्मक आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त वेतन विसंगति के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

(2) सहकारिता विभाग के सहकारी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/– अनुमन्य किये जाने का औचित्य नहीं है। सहकारी कृषि पर्यवेक्षक के पद को वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/– में यथावत् बनाये रखा जाये।

(राहुल भटनागर)	(राजीव कुमार)	(शैलेश कृष्ण)	(अजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,	प्रमुख सचिव,	प्रमुख सचिव,	सदस्य सचिव।
वित्त।	कार्मिक।	सहकारिता विभाग।	

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।